

(भारत के राजपत्र के भाग 1 राण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 11 मई, 2010

अधिसूचना

सं० ए-22017/1/2007-प्रशा०-1: राष्ट्रपति, श्री शैलेश कुमार सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा(जे एच:91) को शहरी विकास मंत्रालय में निदेशक के रूप में दिनांक 16.4.2010(पूर्वाह्न) से 8700/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 37400-67000/रुपए के वेतनमान/वेतन बैंड-4 में 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

कै.जी. मोहन्ता -

(श्री के० जी० मोहन्ता)
अवर सचिव(प्रशा०)

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद(हरियाणा)

प्रतिलिपि:-

1. शहरी विकास मंत्री के निजी सचिव / आवास और शहरी गरीबी उपशमन और पर्यटन मंत्री के निजी सचिव।
2. सचिव(शहरी विकास) के प्रधान निजी सचिव / सचिव, आवास और शहरी गरीबी उपशमन के निजी सचिव/अपर सचिव(शहरी विकास) के निजी सचिव।
3. दोनों मंत्रालयों के सभी संयुक्त सचिव/आर्थिक सलाहकार(पीएचई)/सीसीए के निजी सचिव
4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, स्थापना अधिकारी का कार्यालय(श्रीमती त्रिशालजीत सेठी, निदेशक), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 26.2.2010 के वायरलेस मेसेज सं० 26/8/2009-ईओ(एमएम-1) के संदर्भ में।
5. श्री शैलेश कुमार सिंह, एल. एंड. डी. ओ. निर्माण भवन, नई दिल्ली।
6. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, रांची।
7. दोनों मंत्रालयों के सभी निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव।
8. दोनों मंत्रालयों के अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के सभी प्रमुख।
9. सभी प्रभाग/सैल/अनुभाग/डेस्क।
10. पीआईसी सैल/समन्वय अनुभाग।
11. सेवा पुस्तिक सीट/सीआर सीट/अधिसूचना फाइल।
12. मंत्रालय की वेबसाइट के अद्यतन हेतु एनआईसी।

कै.जी. मोहन्ता -

(श्री के० जी० मोहन्ता)
अवर सचिव(प्रशा०)

अनुरोधित
11/5/10